


18.1.2021

वकील वादी के प्रापक पर पणवली  
 आज पेश हुई। वकील वादी ने वादी  
 को ओर से प्रापक 023 R) CPC के  
 क्रिया और निवेदन किया कि वादी एवं  
 प्रतिवादीगत के मध्य आपसी सहमती  
 से शर्तीनामा हो चुका है इसलिये प्रत्येकी  
 संस्था। अतः न सिद्ध है कि वादी के पक्ष में  
 एक दायित्व कर दिया है, इस कारण वादी  
 पक्ष में कोई भी कार्यवाही नहीं  
 करना चाहता है और शर्त शर्त वादी शर्ती  
 स्तर पर वापिस लेना चाहता है।

अतः पणवली का अवलोकन किया  
 गया वकील वादी व वादी की वदसका  
 अनुरोध किया। वादी अधिन 23 R) CPC के  
 अन्तर्गत अपना वार वापिस लेना का अधिकारी  
 होता है। अतः शर्त वादी विज्ञो करने  
 की अनुमति दी जाती है तथा शर्त वादी  
 विज्ञो के आधार पर निलारित किया जाता  
 है। पणवली केसल हुआ केसर हल जाया  
 शांति दफ्तर में।

4. 11. 2021  
 19  
 (cleaned)  
 18/1/21

  
 उपखण्डाधिकारी  
 धौलपुर (राज०)